निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :98/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मन्दिर श्री गोपाल जी याके हस्तेडा जरिये पुजारी सांवर मल शर्मा पुत्र श्री नन्द किशोर शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी ईटावा, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री अभिमन्यु सिंह आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर ग्रामीण ।
2. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व. श्री मालीराम जाति ब्राह्मण निवासी इटावा, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण ।

अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 28/2023 उनवानी गायत्री देवी व अन्य बनाम इन्द्रादेवी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री प्रमोद शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी 2 की की ओर से ।

निर्णय दिनांक 11.07.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल के समक्ष प्रकरण संख्या 28/2023 उनवानी गायत्री देवी व अन्य बनाम इन्द्रादेवी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण धारा 151 (क) के तहत विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या एक उपखण्ड अधिकारी ने दौराने बहस प्रार्थी को कहा कि या तो वह मन्दिर की खातेदारी के

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

खसरा नम्बर 313 माफी मन्दिर की भूमि में से रास्ता दे दे वरना मै इसी खेत में से रास्ता दूंगा मेरे ऊपर काफी राजनैतिक दबाव है। पीठासीन अधिकारी के इस कथन से प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। क्योंकि उसने बहस पूर्ण होने से पूर्व ही अपनी मंशा प्रार्थी के विरूद्व निर्णय करने की प्रकट कर दी है । इसलिए प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें का निर्णय अप्रार्थी संख्या 1 से नहीं करवाना चाहता है । क्योंकि उनके द्वारा कोई फैसला किया गया तो निष्पक्ष न्याय नहीं होगा। इसलिए प्रार्थी व अन्य के विरूद्व विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित कर उसका अन्य पीठासीन अधिकारी से निर्णय करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी का पक्ष कमजोर होने से प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। इसलिए मिथ्या व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)